



49
49

BEFORE THE HON'BLE REVENUE BOARD,
APPELLATE AUTHORITY
GWALIOR (MP)

IN THE MATTER OF

PBR/ अपील/राजगढ़/आंआ/2017/4825
M/S. VINDHYACHAL DISTILLERIES PVT. LTD.
PEELUKHEDI, TEHSIL NARSINGHARH,
DISTRICT RAJGARH (MP)
THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR
SHRI SANJEEV KHANNA,
269, 270, M.P. NAGAR, ZONE-II,
BHOPAL-462 011

APPEAL NO. /2017

--- APPELLANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH,
THROUGH THE COMMISSIONER EXCISE,
MOTI MAHAL,
GWALIOR (MP)

--- RESPONDENT

प्र.वे. सं. शा. 11/17
आज दि. 4-12-17 को

4-12-17
कलकत्ता ऑफिस को
राजस्व मण्डल म.प्र.
दि. 13-12-17

APPEAL UNDER SECTION 62 (2) (C) OF THE M.P.
EXCISE ACT, 1915 AGAINST THE ORDER DATED
25.08.2017 PASSED UNDER MADHYA PRADESH
COUNTRY SPIRIT RULES 1915

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/राजगढ़/आ.अ./2017/4825

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-2018	<p>अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/6048 में पारित आदेश दिनांक 10-11-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2015-16 के लिए उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला सीहोर के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे। सहायक आबकारी, आयुक्त, जिला सीहोर के प्रतिवेदन दिनांक 16-11-2016 के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला सीहोर के स्टोरेज मद्यभाण्डागार नसरुल्लागंज पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक 365 दिवसों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/6048 में दिनांक 10-11-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के आधार पर अपीलार्थी कम्पनी पर रुपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित किया जाकर उक्त अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक 365 दिवसों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 91,500/- की शास्ति भी अधिरोपित करते हुए कुल रुपये 1,06,500/- की शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं मानने में भूल की गई है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा निरंतर आवश्यकता एवं मांग अनुसार प्रदाय किया गया है, जिससे व्यवस्था सकुशल रही। तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व लायसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कि राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर न तो कोई विचार किया गया है और न ही उनका आदेश में उल्लेख किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जो कि नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है। अतः अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2015-16 के लिए उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा

उसे प्रदाय क्षेत्र जिला सीहोर के स्टोरेज मद्यभाण्डागार नसरुल्लागंज पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 कुल 365 दिवसों में एक दिवस के प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य देशी स्पिट नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10-11-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

अ
अ

अध्यक्ष